हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

तृतीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 27

वीरवार, 30 **अगस्त**, 2018/8 **भाद्रपद**,1940 (**शक्**)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय: 11.00 **बजे** (**पूर्वाह्न**)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 **बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।**

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 307 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 738 व 741 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 739, 740, 742 व 743 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

शहरी विकास मंत्री द्वारा दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 743 के उत्तर पर माननीय अध्यक्ष ने भी निम्नलिखित टिप्पणी की- "मल निकासी योजनाओं की दी गई सूची बहुत लंबी है। मैं आपको बताना चाहूंगा की नाहन जिला मुख्यालय है और इस सूची में उसका नाम शामिल नहीं है। अगर आप उसको भी इसमें शामिल कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। वह बने या नहीं, यह तो बाद की बात है।"

तारांकित प्रश्न संख्या 744 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए लेकिन प्रश्नकाल का समय समाप्त हो जाने के कारण उत्तर नहीं दिया जा सका।

तारांकित प्रश्न संख्या 745 से 771 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 162 से 167 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. <u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

(1) **श्री किशन कपूर,खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित के 36वें वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखीं।

(2) **श्री अनिल शर्मा, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीं:-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17;

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत नवीनीकरण ऊर्जा स्त्रोतों से जनरेशन का प्रचार और टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें (पहला संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःएचपीईआरसी/428 दिनांक 07.05.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.05.2018 को प्रकाशित;

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (शार्ट टर्म ओपन एक्सेस) (पहला संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/418 दिनांक 11.06.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.06.2018 को प्रकाशित; और

(iv) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग आपूर्ति संहिता(दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/Secy/151 दिनांक 31.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.08.2018 को प्रकाशित।

(3) **श्री बिक्रम सिंह**, **उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीं:-

(i) बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17;

(ii) बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा Balance Sheet, वर्ष 2016-17; और

(iii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर के वार्षिक लेखे, वर्ष 2015-16 (संपरीक्षा रिपोर्ट सहित)।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

(1) **श्री हर्षवर्धन चौहान**, **सदस्य**, **लोक लेखा समिति**, (**वर्ष** 2018-19) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीं :-

(i) समिति के 31वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 75वां कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सहकारिता विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के 58वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 68वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि पर्यटन और नागरिक उड्डयन से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के 65वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 110वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री रमेश चन्द ध्वाला**, **सभापति**, **प्राक्कलन समिति**, (**वर्ष** 2018-19) ने समिति का चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 30वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में

अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री राम लाल ठाकुर**, **सदस्य**, **लोक उपक्रम समिति**, (**वर्ष** 2018-19) ने समिति का दशम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14(आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा 3.3 से 3.7 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने एशियन विकास बैंक के माध्यम से बाह्या वित्त पोषण के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में पड़ने वाले 54 विकास खण्डों में बागवानी विकास के लिए 80:20 के आधार पर मिली 1688 करोड़ रुपये की राशि तथा खुम्ब उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी व बीज उत्पादन से लेकर खुंब की प्रोसैसिंग यूनिट स्थापना हेतु मिली 423 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति बारे वक्तव्य दिया।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री द्वारा वक्तव्य

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने दिनांक 28 अगस्त, 2018 को प्रदेश की ऊर्जा नीति में किए गए संशोधन पर सदन में हुई चर्चा के बारे में ज्यों ही अपना वक्तव्य देना प्रारम्भ किया, नेता प्रतिपक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जब ऊर्जा नीति पर चर्चा पूर्ण हो चूकी है तो अब वक्तव्य देने का कोई औचित्य नहीं है।

दोनों ओर के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर इसके पक्ष और विपक्ष में अपने विचार रखने लगे।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा, "अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में माननीय मंत्री जी वक्तव्य देना चाहते है और आपने इनको वक्तव्य देने के लिए इजाज़त दी है। इस विषय पर सदन में पहले भी चर्चा हुई थी लेकिन आधी-अधूरी हुई। विपक्ष ने पूरी बात नहीं सुनी, इसलिए आज वक्तव्य देने की आवश्यकता महसूस हुई है ताकि फैक्चुअल पोजिशन माननीय सदन के रिकार्ड में आए।"

सदन में दोनों पक्षों के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा - हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-317 में प्रावधान है कि "कोई मंत्री, अध्यक्ष की अनुमति से, लोकहित के विषय में वक्तव्य दे सकेगा परन्तु वक्तव्य दिए जाने के बाद कोई प्रश्न उस वक्त नहीं पूछा जाएगा।"

12.24 **बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।**

अध्यक्ष महोदय ने कहा,"नियमों के अनुरूप मंत्री को वक्तव्य देने का अधिकार पीठ द्वारा दिया गया। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष ने किया; जो उन्हें सूट करता है वह ठीक है और जो सूट नहीं करता वह ठीक नहीं; यह निंदनीय है।"

माननीय मुख्य मंत्री ने कांग्रेस विधायक दल की ओर से प्रयोग की गई भाषा तथा सदन से उनके बहिर्गमन की भर्त्सना एवं घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की धमकी देना और शब्दों का इस्तेमाल करना सदन की गरिमा के खिलाफ है।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने अपना वक्तव्य पूरा किया।

4. <u>विधायी कार्य</u>

(I) सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "**हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक**, 2018 (2018 **का विधेयक संख्यांक** 10)" को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अनुमति दी गई।

"**हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक**, 2018 (2018 **का विधेयक संख्यांक** 10)" **पुर:स्थापित हुआ।**

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

डॉ0 राम लाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "**हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक**, 2018 (2018 **का विधेयक संख्यांक** 9)" पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

कृषि मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "**हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक**, 2018 (2018 **का विधेयक संख्यांक** 9)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"**हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक**, 2018 (2018 **का विधेयक संख्यांक** 9)" **पारित हुआ।**

1.04 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.05 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

भोजनावकाश के उपरान्त 2.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

5. <u>गैर-सरकारी सदस्य कार्य</u>

सर्वप्रथम श्री राकेश पठानिया, सदस्य ने पिछले सत्र में प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा कीः-

"This house may discuss the illegal mining in the state and recommends to the Government to form a policy."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री राम लाल ठाकुर
2. श्री सुख राम

2.44 **बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।**

3. श्री जगत सिंह नेगी।
4. श्री परमजीत सिंह
5. श्री हर्षवर्धन चौहान
6. श्री जीत राम कटवाल
7. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
8. श्री रविन्द्र कुमार
9. श्री लखविन्द्र सिंह राणा
10. श्री सतपाल सिंह रायजादा

माननीय उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री राकेश पठानिया, सदस्य ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय उद्योग मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

(ii) श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट), सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया तथा चर्चा की:-

"**यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि समाज में बढ़ते नशे के प्रयोग और युवाओं को इसके दुष्प्रभाव से जागरूक करने हेतु संबंधित शिक्षाप्रद उपयोगी साहित्य को पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने बारे नीति बनाने पर विचार करें।**"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री राम लाल ठाकुर
2. श्री अरुण कुमार
3. श्री राजेन्द्र राणा
4. श्री परमजीत सिंह
5. श्री आशीष बुटेल
6. श्रीमती रीता देवी
7. श्री विक्रमादित्य सिंह
8. श्री सुरेन्द्र शौरी

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

(iii) श्री बलवीर सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:-

"**यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में Co-operative bank व Societies में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।**"

05.04 **बजे अपराह्न सदन की बैठक शुक्रवार**, 31 **अगस्त**, 2018 **के** 11.00 **बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।**

(**डॉ0 राजीव बिन्दल**)
अध्यक्ष

(**यशपाल शर्मा**)
सचिव